

सार्वजनिक सूचना

विषय: 16 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी i-CAS (हलाल) योजना के अंतर्गत हलाल प्रमाणीकरण

महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार, नई दिल्ली (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 34/2024-25 दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, निर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों की निर्यात नीति शर्तों को 16.10.2024 से संशोधित किया गया है। इस अधिसूचना की प्रति www.apeda.gov.in पर भी उपलब्ध है।

2. इस मामले से संबंधित सभी हितधारकों को निम्नलिखित जानकारी प्रसारित की जा रही है:-

2.1 निर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों को नीचे सूचीबद्ध देशों में प्रमाणित हलाल के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब ऐसे उत्पाद भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की "भारतीय अनुरूपता मूल्यांकन योजना (i-CAS) - हलाल" के अंतर्गत प्रमाणित सुविधा में उत्पादित या संसाधित और/या पैक किए गए हों:

1. बहरीन	9. ओमान
2. बांग्लादेश	10. फिलीपींस
3. इंडोनेशिया	11. कतर
4. ईरान	12. सऊदी अरब
5. इराक	13. सिंगापुर
6. जॉर्डन	14. तुर्की
7. कुवैत	15. संयुक्त अरब अमीरात
8. मलेशिया	

2.2 शिपमेंट तैयार हो जाने के बाद, निर्यातक को ऊपर सूचीबद्ध आयातक देश में क्रेता को राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के लिए प्रमाणन निकाय (एनएबीसीबी) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा i-CAS के अंतर्गत जारी वैध हलाल प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।

2.3 i--CAS के साथ अपेक्षित अनुरूपता के अतिरिक्त, उन देशों को निर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों का निर्यात, जिनमें हलाल उत्पादों के आयात के लिए विनियमन अधिसूचित हैं, उत्पादक/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक को आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं और विनियमों जैसा लागू हो, को भी पूरा करना होगा, और

आयातक देश में खरीदार को आयातक देश की राष्ट्रीय हलाल प्रणाली के अंतर्गत अनुमोदित हलाल प्रमाणन निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

2.4 गैर-हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तें और प्रक्रियाएं अपरिवर्तित रहेंगी।

2.5 लिंक <https://qcin.org/qci-i-cas-halal/> निम्नलिखित के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है:

1. भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (i-CAS) - हलाल
2. हलाल मांस उत्पादों के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश
3. हलाल लोगो

2.6 हलाल प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एपीडा और एनएबीसीबी द्वारा संयुक्त रूप से एक एकीकृत पोर्टल (<https://i-cas-halal.qcin.org>) विकसित किया गया है। पोर्टल के होमपेज में एक उपयोगकर्ता पुस्तिका मौजूद है। मौजूदा निर्यातकों और हलाल प्रमाणन निकायों (एचसीबी) दोनों को क्रमशः एपीडा और एनएबीसीबी के साथ पंजीकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। एचसीबी और नए निर्यातकों को क्रमशः एनएबीसीबी और एपीडा के साथ पंजीकरण करना होगा। उपयोगकर्ता पुस्तिका में (क) इकाई प्रमाणन और (ख) खेप (कंसाइनमेंट) प्रमाणपत्र के लिए चरण-दर-चरण निर्देश शामिल हैं।

2.7 किसी भी प्रश्न के लिए, निम्नलिखित ई-मेल/संपर्क नंबर पर हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है:

- ईमेल: supporticas@qcin.org (निर्यातकों की सहायता के लिए i-CAS वेबसाइट पर संपर्क अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध)।
- इसके अतिरिक्त, निर्यातक i-CAS पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से आईटी टीम , क्यूसीआई, एनएबीसीबी, एचसीबी और एपीडा को प्रश्न भेज सकते हैं।

- संपर्क बिंदु :

एपीडा

श्री रजित बघेल (7692093808- सामान्य प्रश्न)

श्री व्योम (8588037664 - आईटी से संबंधित प्रश्न)

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई)

श्री कार्तिकेय (9760334166 - आईटी से संबंधित प्रश्न)

श्री लक्ष्य (9868801550 - सामान्य प्रश्न)

डॉ. सुधांशु
सचिव, एपीडा